ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 43-44
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

अस्पृश्यता सम्बन्धी डॉ0 अम्बेडकर का विचार (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

परमानन्द चौधरी

सहायक अध्यापक, टी.के.घोष अकादमी रा0उ0वि0 (+2), पटना–4 (बिहार) भारत

Received- 20.04. 2019, Revised- 25.04.2019, Accepted - 03.06.2019 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : *यह हिन्दू धर्म की सबसे भीषण सामाजिक बुराइयों में से एक है। इसके कारण भारतीय समाज में अछूतों की स्थिति दयनीय रही है। यह मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में रहे हैं– पहली श्रेणी अस्पृश्यों की है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं, जिनके नजदीक जाना भी ठीक नहीं है तथा तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिन्हें देखना भी ठीक नहीं समझा जाता। इस प्रकार सरल रूप में अस्पृश्यता का अर्थ है जो स्पृश्य योग्य अथवा छूने योग्य नहीं है। अर्थात् अस्पृश्यता एक ऐसी धरणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया मात्र से अपवित्र हो जाते हैं। इस समस्या के कारण भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा सदियों से अत्यंत पिछड़ा, उत्पीड़ित, वांछित व अवहेलना के बोझ से त्रासित रहा है। देश के विभिन्न भागों में उन्हें अलग–अलग नामों से पुकारा जाता था। उन्हें अंत्यज, पेरिया, अतिशुद्र, अवर्ण, नामशुद्र आदि कहा जाता था। उन पर कड़े सामाजिक प्रतिबंध थे। उनके स्पर्श, उनकी छाया, उनकी बोली तथा आवाज तक से सवर्णों को परहेज था। वे घरेलू पशुओं को नहीं पाल सकते थे। धन एवं सम्पत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते थे। आभूषण के लिए कुछ विशेष प्रकार के धातुओं का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उन्हें विशेष प्रकार के पोशाक पहनने पड़ते तथा मुख्य बसती से बाहर टुटे फुटे मकानों में रहना पड़ता था।*

कुंजी शब्द – अस्पृश्यता, अंत्यज, पेरिया, अतिशुद्ध, अवर्ण, नामशुद्र, स्पर्श, धातु, पोशाक, सवर्ण, उत्पीड़ित।

हिन्दू धर्मशास्त्रों और पुराणों में एक ओर 'आत्यवत् सर्वभूतेष' और 'पण्डिताः समदर्शनः' जैसे आदर्शो को प्रस्तुत किया गया है तो दूसरी ओर मानव द्वारा छू लेने मात्र से ही अपवित्र मान लिया गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों की इसी विरोधाभास को देखते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, मानव उच्चता को कोई धर्म इतने सुन्दर रूप से व्यक्त नहीं करता जितना कि हिन्दू धर्म और किसी भी धर्म में मानव का ऐसा अधोःपतन देखने को नहीं मिलता जैसा कि हिन्दू धर्म में। अस्पृश्यों को सभी प्रकार की सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित रखते हुए पूर्णरूप से शोषण किया जाता रहा है।

वैदिक काल में समाज के सबसे नीचे स्तर के लोगों के लिए वैदिक ग्रन्थों में चाण्डाल, विषाद, आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु वे अस्पृश्य थे या नहीं इसका स्पष्ट पता नहीं चलता। घुरिये के अनुसार उत्तर–वैदिक काल में यज्ञ, धर्म आदि से सम्बन्धित शुद्धता या पवित्रता की धारणा थी परन्तु आज जिस रूप में अस्पृश्यता की ध ाारणा है उस समय नहीं थी। स्मृतिकाल में चाण्डाल आदि के रहने की व्यवस्था गाँव के बाहर थी। धर्मशास्त्र युग में अस्पृश्यता की भावना सर्वप्रथम स्पष्ट हुई और एक ब्राह्मण नारी और शुद्र पुरूष से उत्पन्न संतानों को चाण्डाल कहा गया और उन्हें सबसे घृण्य समझा गया।

अस्पृश्यता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में रिजले, मजुमदार और घुरिये आदि ने प्रजातीय व्याख्या प्रस्तुत की है। इन विद्वानों के अनुसार इण्डो–आर्यन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को घृणा की दृष्टि से देखा और दास के नाम से सम्बोधित करते हुए उन्हें समाज में सबसे नीचा स्थान प्रदान किया और धार्मिक–सांस्कृतिक संस्कारों से बिल्कुल दूर रखा। घुरिये के अनुसार पवित्रता का विचार जाति व्यवस्था के उत्पत्ति का मुख्य आधार माना जाता है। मजुमदार का मानना है कि दलितों के निर्योग्यताओं का आधार सम्भवतः प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नताएँ हैं। इन भिन्नताओं के कारण पृथकता की धारणा धीरे–धीरे इतना कठोर होती गयी कि जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को छूना भी बहुत खराब समझा गया और वे अछूत कहलाने लगे। इन्हीं तथ्यों को स्पष्ट करते हुए नेस्फील्ड नामक विद्वान ने पेशे के आधार पर अस्पृश्यता की व्याख्या की और बताया कि गंदे तथा अपवित्र पेशे ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। अतः वे लोग जो ऐसे अपवित्र पेशों में संलग्न होते हैं, उन्हें अस्पृश्य अथवा अछूत माना जाता है। इसी प्रकार हट्टन ने माना और दूसरे सामाजिक निषेधों के आधार पर अस्पृश्यता को समझाने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार माना के आधार पर अपरिचित व्यक्ति और घृणित या गन्दे पेशों के करने वालों से अकल्याण होने या नुकसान पहुँचने के डर से लोगों के मन में छुआछूत की धारणा पनपी। मनु के नियम के अनुसार प्रतिलोम विवाह को ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। मनु ने एक ब्राह्मण लड़की और एक शुद्र के

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

लड़के से उत्पन्न संतान को चण्डाल अर्थात् अछूत बताया क्योंकि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर माना गया और चूंकि उन्हें माता–पिता में से किसी का भी कुल नहीं मिला इस कारण हिन्दू समाज से अलग रखा गया और इस प्रकार अछूत जाति का निर्माण हुआ।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भिन्न–भिन्न विद्वानों ने अपने–अपने ज्ञान तथा तर्क के आधार पर अस्पृश्यता के उद्भव का कारण बताया है जिसमें से किसी को भी सत्य एवं वैज्ञानिक साबित नहीं किया जा सकता। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि बहिष्कृत जातियों की उत्पत्ति अंशतः प्रजातीय अंशतः धार्मिक और अंशतः सामाजिक प्रथा के परिणाम हुई होगी।

अस्पृश्यता के उत्पत्ति का आधार जो भी हो, यह एक बहुत ही गम्भीर सामाजिक समस्या है जिसने हिन्दू समाज के एक बड़े भाग को नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में निर्योग्य बताकर बहुत सारी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं से वंचित कर उन्हें दास तथा पशु रूपी जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया है। समाजसुधारकों तथा आन्दोलनकारियों के अथक परिश्रम के बाद स्वतंत्र भारत में उन्हें कानूनी रूप में प्रजातांत्रिक न्यायिक, नैतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। परम्परागत रूप में इनकी नियोग्यताएँ तथा समस्याएँ इस प्रकार हैं–

परम्परागत रूप में प्राचीन काल से ही अछूतों अथवा अस्पृश्यों की आर्थिक स्थिति सबसे गम्भीर रही हो। उन्हें अपने पेशे चुनने, व्यवसाय करने अथवा आय अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं थी। परम्परागत रूप से उच्च जातियों द्वारा जो मान्य था वही कार्य वे कर सकते थे। इस प्रकार पूर्ण दूसरों पर आश्रित रहते थे। अस्पृश्यों को खेती करने तथा भूमि अथवा दूसरी कोई सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था। वे भूमिहीन श्रमिक होते तथा बन्धुवा मजदूर के रूप में उच्च जातियों के सेवक होते थे जिसका कोई निश्चित वेतन भी निर्धारित नहीं होता था।

सामाजिक क्षेत्र में भी अछूतों को अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन्हें अनेक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ा, समाज में निम्नतम स्थान प्राप्त हुआ तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा गया। सामान्य सड़क, सामान्य कुआँ तथा अन्य सामान्य वस्तुओं एवं स्थानों का इस्तेमाल इनके लिए वर्जित था। वे मुख्य गांव से दूर किनारे किसी स्थान पर झोपड़ियों एवं अस्वस्थ स्थितियों में रहने के लिए मजबूर होते थे। उनका स्कूलों में दाखिला नहीं होता, जहाँ हो भी जाता तब वहाँ के सवर्ण शिक्षक एवं विद्यार्थी वहाँ अलग किनारे बैठने पर मजबूर करते तथा नाना प्रकार के कष्ट देते थे। ब्रिटिश राज्य के समय से और विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें जो संवैधानिक सुविधाएं प्राप्त हुई तब उनके जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आना आरम्भ हुआ है।

प्राचीन काल से धार्मिक स्तर पर भी इन्हें अनेक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ा। उन्हें मंदिरों तथा दूसरे किसी प्रकार के धार्मिक स्थलों में दाखिल होने क्या उसके आसपास आने जाने की भी अनुमति नहीं थी। पूजा–पाठ अथवा किसी प्रकार के धार्मिक संस्कारों में जाने अथवा किसी भी प्रकार से भाग लेने के उन्हें बिल्कुल ही अधिकार नहीं था। उन्हें धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने, सुनने अथवा उपदेशों को सुनने की भी अनुमति नहीं थी। उनका शमशान घाट अलग होता था तथा ब्राह्मण उनके किसी संस्कार में भाग नहीं लेते थे। इन असुविधाओं तथा निर्योग्यताओं के कारण अछूतों को सदियों तक बहुत सारी अमानवीय परेशानियों का सामना करना पड़ा, अत्याचार तथा उत्पीड़न सहने पड़े। घुट–घुट कर मरना उनकी नियति थी।

अस्पृश्यता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अम्बेडकर ने अपने विचारों को, द अन्टचेबुल्स, हु आर दे एण्ड व्हाई दे बीकेम अन्टचेबुल्स नामक पुस्तक में स्पष्ट करते हुए लिखा है–

(i) बौद्ध धर्म का तिरस्कार ही अस्पृश्यता का मूल है।

(ii) गोमांस भक्षण ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जिसबर्ट, पी : फंडामेन्टल्स आफ सोशियोलोजी, आरियन्ट लौन्गमेन्स, बम्बई
2. सोरोकिन, पी.ए : कन्टेम्परोरी सोशियोलोजिकल थेवरीज, कल्याणी पब्लीशर्स, नई दिल्ली, 1978
3. बोटोमोर, ट.बी : समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 1968
4. काणे, पी.वी ' धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1
5. अम्बेडकर, बी.आर : हु वेयर द शुद्राज? हाउफ दे केम टु बी द फोर्थ वर्ण इन द इण्डो–आर्यन सोसायटी?, थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, 1946

*****